

वायु प्रदूषण (Air-Pollution)



Chapter -2

वायु प्रदूषण (Air-Pollution) Syllabus

2. Air Pollution (05 Periods)

Source of air pollution. Effect of air pollution on human health, economy, plant, animals. Air Pollution Control Methods. Introduction to Air Pollution and its Prevention and Control Act 1981 & Environmental Protection Act 1986 and Function of State pollution control board and National Green Tribunal (NGT).)



- Function of State pollution control board:-
- राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (State Pollution Control Board) का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण को नियंत्रित करना है। यह बोर्ड विभिन्न कार्यों के माध्यम से राज्य में प्रदूषण की निगरानी और नियंत्रण करता है।
 - The main objective of the State Pollution Control Board is to protect the environment and control pollution. This board monitors and controls pollution in the state through various functions.
- इसके प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं: Following are its major functions:



- 1. प्रदूषण नियंत्रण की नीतियों का निर्माण और क्रियान्वयन (Formulation and implementation of pollution control policies):-
- राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित नीतियों और योजनाओं का निर्माण करता है और उन्हें लागू करने में सहायता करता है।
 The State Pollution Control Board formulates policies and plans relating to pollution control and assists in implementing them.
- 2. प्रदूषण की निगरानी (Pollution Monitoring):-
- यह बोर्ड वायु, जल, और मृदा प्रदूषण की निगरानी करता है। यह प्रदूषण के स्तर को मापने के लिए विभिन्न उपकरणों और तकनीकों का उपयोग करता है। This board monitors air, water, and soil pollution. It uses various instruments and techniques to measure the level of pollution.



3. औद्योगिक इकाइयों की निगरानी (Monitoring of Industrial Units):-

• राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड उन उद्योगों और अन्य कारखानों का निरीक्षण करता है, जो प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि ये उद्योग पर्यावरणीय मानकों का पालन कर रहे हैं। The State Pollution Control Board inspects industries and other factories that generate pollution. It ensures that these industries are following environmental standards.

4. प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों की स्थापना (Installation of pollution control equipment):-

 यह बोर्ड प्रदूषण को कम करने के लिए औद्योगिक इकाइयों और अन्य संस्थानों में प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों की स्थापना के लिए दिशा-निर्देश प्रदान करता है और सुनिश्चित करता है कि इन उपकरणों का सही तरीके से उपयोग हो।

This board provides guidelines for the installation of pollution control equipment in industrial units and other institutions to reduce pollution and ensures that these equipment are used properly.



5. पर्यावरणीय लाइसेंस और अनुमति देना (Grant of Environmental Licensing and Permitting):-

 यह बोर्ड प्रदूषण उत्पन्न करने वाले कार्यों के लिए पर्यावरणीय लाइसेंस और अनुमित प्रदान करता है, और यह सुनिश्चित करता है कि सभी मानकों का पालन किया जा रहा है।
 This board grants environmental licences and permissions for pollution-causing activities, and ensures that all standards are being followed.

6. सार्वजनिक जागरूकता और शिक्षा (Public awareness and education):-

 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जनता में पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करता है। यह नागरिकों को प्रदूषण के दुष्प्रभावों और पर्यावरणीय सुरक्षा के उपायों के बारे में शिक्षित करता है। The Pollution Control Board organizes various programs to increase environmental awareness among the public. It educates citizens about the ill effects of pollution and measures for environmental protection.



- ग्रीन ट्रिब्यूनल (National Green Tribunal-NGT):
- इसके अंतर्गत बना ट्रिब्यूनल भारतीय नागरिकों के स्वस्थ पर्यावरण मिलने के अधिकार की बात करता है।
 - The tribunal formed under this talks about the right of Indian citizens to get a healthy environment.
 - नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का गठन 18 अक्टूबर 2010 में किया गया। यह पर्यावरण से जुड़े मुद्दों के प्रभावी और जल्दी निराकरण के लिए बनाया गया था। ये मुद्दे खासतौर पर <u>पर्यावरण के अंतर्गत</u> जंगलों की सुरक्षा और संरक्षण सुनिश्चित करने, अन्य प्राकृतिक स्रोतों का संरक्षण, पर्यावरण से जुड़े कानूनी अधिकारों की रक्षा और किसी नागरिक के अधिकारों के हनन पर उन्हें आर्थिक सहायता मुहैया कराने से जुड़े थे।



The National Green Tribunal was formed on 18 October 2010. It was formed for effective and quick resolution of environmental issues. These issues were especially related to ensuring the protection and conservation of forests under the environment, conservation of other natural resources, protection of legal rights related to the environment and providing financial assistance to any citizen in case of violation of his rights.

• नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को खासतौर पर ऐसे अधिकार दिए गए जिनके इस्तेमाल से पर्या<u>वरण से जुड़े</u> विवाद सुलझाए जा सकें। इस ट्रिब्यूनल में किसी भी विवाद को 6 महीने के भीतर सुलझानें की कोशिश की जाती है।

The National Green Tribunal was specifically given such powers that can be used to resolve environmental disputes. In this tribunal, efforts are made to resolve any dispute within 6 months.



• नई दिल्ली में इस ट्रिब्यूनल का मुख्<u>य ऑफिस</u> है। इसके अलावा ट्रिब्यून<mark>ल के ऑफिस भोपा</mark>ल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में भी खोले जाएंगे।

The main office of this tribunal is in New Delhi. Apart from this, offices of the tribunal will also be opened in Bhopal, Pune, Kolkata and Chennai.